

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

फैक्स/
ई-मेल

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0 प्र0 से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर
सर्माहत्ता, पटना, सिवान, मधेपुरा एवं कैमूर।

पटना-15, दिनांक-

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय मांग संख्या-40 विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में कुल 7,04,574/- (सात लाख चार हजार पाँच सौ चौहतर) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत निम्नांकित कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित कार्यालय द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 0601 चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में संबंधित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 7,04,574/- (सात लाख चार हजार पाँच सौ चौहतर) रुपये मात्र निम्नलिखित रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0 सं0	कर्मि का नाम, पदनाम, कार्यालय एवं जिला का नाम	स्वीकृत्यादेश	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	श्री रणजीत कुमार, सचिवालय सहायक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर,	भागलपुर प्रमंडल के स्वी0 सं0-753 दिनांक-01.09.2017	20,719/-
2	श्री सुरेश कुमार प्रसाद, माली जिला राजस्व शाखा, पटना।	स्वी0 सं0-109/स्था0 दिनांक-24.03.2017	11,300/-
3	श्री अनिश कुमार मिश्र, लिपिक, अंचल कार्यालय, पटना सदर जिला पटना।	सामान्य प्रशासन विभाग के स्वी0 सं0-1804 दिनांक-15.02.2017	1,35,747/-
4	श्री बीरबल दास, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय हसनपुर संप्रति अंचल कार्यालय सिवान, जिला सिवान।	विभागीय स्वी0 सं0-649(4)/रा0 दिनांक-19.07.2017	53,784/-
5	मो0 मुर्शीद आलम (बि0 प्र0 से0) अपर समाहत्ता, मधेपुरा।	सामान्य प्रशासन विभाग के स्वी0 सं0-10276 दिनांक-10.08.2017	2,32,994/-
6	श्री अरविन्द कुमार, अंचल अधिकारी, करपी संप्रति अंचल कार्यालय दुर्गवाती, जिला कैमूर।	पत्रांक-195/रा0 दिनांक-31.03.2017 द्वारा पूर्व आवंटित राशि प्रत्यर्पित किया गया।	2,50,030/-
		कुल	7,04,574/-

(सात लाख चार हजार पाँच सौ चौहतर) रुपये मात्र।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी।

3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि० (2)दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले महीने के 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक-...../रा०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-4 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :-/31 (5)...../रा०, पटना-15, दिनांक :-.....22-09-17.....

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।